कार्यालय नगर निगम जयपुर

(पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टोंक रोड जयपुर–15)

निजी/व्यावसायिक भवनों/प्रतिष्ठानों पर किए गए विज्ञापन की शुल्क वसूली के ठेके की वर्ष 2012–13 की शर्तें

1.	यह ठेका केवल निजी/व्यावसायिक भवनों/प्रतिष्ठानों पर किए गए विज्ञापन की शुल्क वसूली के लिए जयपुर शहर की चार दीवारी क्षेत्र को छोड़कर जोनवार 7 जोनों का पृथक–पृथक (हवामहल पश्चिम जोन को छोड़कर) खुली नीलामी द्वारा दिया जावेगा। यह ठेका 3 वित्तीय वर्ष (2012–13, 2013–14 एवं 2014–15) हेतु होगा बोली वित्तीय वर्ष 2012–13 (01 अप्रेल 2012 से 31 मार्च 2013 तक) हेतु लगवाई जावेगी।
2.	अधिकृत ठेकेदार निजी/व्यावसायिक भवनों/प्रतिष्ठानों पर किए गए विज्ञापन शुल्क की ही वसूली कर सकेंगे जिसमें सिनेमा हॉल, पेट्राल पम्प शामिल होंगे। नगर निगम जयपुर द्वारा नीलामी या अन्य प्रकार से दिए गए विज्ञापन अधिकारों के विज्ञापन शुल्क की वसूली का अधिकार ठेकेदार को नहीं होगा।
3.	निजी/व्यावसायिक भवनों/प्रतिष्ठानों पर किए गए विज्ञापन की शुल्क वसूली के ठेके की विस्तृत शर्तों का अवलोकन किसी भी कार्य दिवस में नगर निगम जयपुर (मुख्यालय) के कार्यालय में किया जा सकेगा।
4.	अधिकृत ठेकेदार निजी/व्यावसायिक भवनों/प्रतिष्ठानों पर किए गए विज्ञापन का जयपुर नगर निगम की विज्ञापन उपविधियों द्वारा निर्धारित दरों/शर्तों के अनुसार ही शुल्क वसूल कर सकेगा। विज्ञापन शुल्क वसूली की दरें व शर्तें नगर निगम जयपुर की वेबसाइट www.jaipur.mc.org पर उपलब्ध रहेंगी।
5.	यह ठेका नगर निगम जयपुर विज्ञापन उपविधियां 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियां 2008 के अनुरूप होगा। ठेकेदार को इन उपविधियों के तहत नगर निगम जयपुर द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कार्य करना होगा।

6. राज्य सरकार या नगर निगम जयपुर द्वारा इस संबंध में जारी संशोधित निर्देशों या संशोधित उपविधि की भी पालना ठेकेदार को करनी होगी। जिन विज्ञापनों पर विज्ञापन शुल्क वसूली पर वर्तमान में नीलामी से पूर्व या ठेका अवधि के दौरान न्यायालय का स्थगन आदेश है उस स्थगन आदेश की पालना ठेकेदार द्वारा की जावेगी। ठेका अवधि के दौरान स्थगन निरस्त होने पर ठेकेदार ठेका अवधि की बकाया वसूली कर सकेंगे। सम्पूर्ण ठेका अवधि में स्थगन निरन्तर जारी रहता है तो स्थगन से प्रभावित वसूली में ठेकेदार का कोई क्लेम नहीं होगा एवं ठेका अवधि पश्चात् स्थगन हटने पर शुल्क निगम वसूल करेगा।

7. प्रत्येक बोलीदाता नगर निगम जयपुर के द्वारा जोनवार आरक्षित की गई राशि के आधार पर प्रत्येक जोनवार अमानता राशि अलग–अलग जमा कराकर बोली में भाग ले सकेगा। यह राशि नगर निगम जयपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीकृत बैंक के डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक द्वारा जमा कराई जा सकती है। एक बोलीदाता एक से अधिक जोनों की बोली में भाग ले सकेगा। आरक्षित राशि व अमानता राशि निम्न तालिका अनुसार होगी:–

क्र.सं.	जोन का नाम	आरक्षित राशि (लाखों में)	अमानता राशि (लाखों में)
1.	मानसरोवर जोन	58.58	585800/–
2.	सांगानेर जोन	58.58	585800/–
3.	आमेर जोन	11.72	117200/–
4.	हवामहल जोन पूर्व	7.45	74500/–
5.	सिविल लाईन जोन	175.75	1757500/–
6.	विद्याधर नगर जोन	175.75	1757500/–
7.	मोतीडूंगरी जोन	117.17	1171700/–

8. बोलीदाता को आरक्षित राशि से अधिक राशि की खुली बोली लगाने का अधिकार होगा जो कम से कम रूपये 1000 के गुणक में होगी। आरक्षित राशि राजस्थान सरकार की अनुमति की प्रत्याशा में हैं। उच्चतम बोली को स्वीकृत करने अथवा स्वीकृत नहीं करने के संबंध में राज्य सरकार का निर्णय अंतिम व मान्य होगा, राज्य सरकार की स्वीकृति पश्चात नगर निगम जयपुर द्वारा जारी कार्यादेश पश्चात ही ठेकेदार फर्म द्वारा विज्ञापन शुल्क वसूली आरंभ की जा सकेगी। एक बोलीदाता एक से अधिक जोनों की बोली में भाग ले सकेगा।

9.	प्रथम, द्वितीय व तृतीय उच्चतम बोलीदाता को छोड़कर शेष बोलीदाताओं की अमानता राशि बोली समाप्ति पर लौटा दी जावेगी। द्वितीय व तृतीय उच्चतम बोलीदाता की अमानता राशि उच्चतम बोलीदाता को विज्ञापन शुल्क वसूली की अधिकृति जारी करने के पश्चात लौटाई जावेगीं। उच्चतम बोलीदाता को अधिकृति पत्र राज्य सरकार द्वारा बोली स्वीकृत करने के पत्र प्राप्त होने के पश्चात् जारी किया जावेगा।
10.	उच्चतम बोलीदाता द्वारा अपनी उच्चतम बोली की 1/4 राशि राज्य सरकार द्वारा उसकी बोली अनुमोदित होने पर नगर निगम जयपुर द्वारा सूचित करने पर अगले कार्य दिवस में सायं 4:00 बजे तक डीडी/बैंकर्स चैक द्वारा जमा करानी होगी।
11.	सफल बोलीदाता की अमानता राशि बतौर धरोहर राशि ठेका समाप्ति तक निगम कोष में जमा रहेगी।
12.	उच्चतम बोलीदाता द्वारा ठेका राशि की 1/4 राशि जमा कराने में असफल रहने पर जमा अमानता राशि अथवा अन्य जमा राशियां जप्त कर ली जावेगी एवं बोलीदाता के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। ऐसी स्थिति में क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय उच्चतम बोलीदाता को उसकी बोली पर गुणावगुण के आधार पर राज्य सरकार की स्वीकृति पश्चात ठेका देने की कार्यवाही की जा सकेगी।
13.	पर्याप्त बोली राशि प्राप्त नहीं होने अथवा अन्य कारणों से नीलामी तिथि को आगे बढ़ाने का अथवा आगामी तिथि में जारी रखने का अधिकार नगर निगम जयपुर का होगा।
14.	नीलामी बोली वर्ष 2012–13 के लिए जोनवार लगाई जावेगी। वर्ष 2012–13 की ठेका राशि में 10 प्रतिशत वृद्धि करते हुए वर्ष 2013–14 की ठेका राशि निर्धारित होगी एवं वर्ष 2013–14 की ठेका राशि में 10 प्रतिशत वृद्धि करते हुए वर्ष 2014–15 की ठेका राशि निर्धारित होगी।
15.	वर्ष 2012–13 की 3/4 शेष राशि 3 समान किस्तों में (1/4 दि. 31.12..2012 तक, 1/4 दि. 15.01.2013 तक तथा 1/4 दि. 15.02.2013 तक) जमा करानी होगी किंतु किस्तों के जमा कराने के दिनांक लाईसेसिंग आथोरिटी द्वारा परिवर्तित किये जा सकेगें। ठेकेदार को 3/4 राशि के बराबर की नगर निगम जयपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीकृत बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी ठेका स्वीकृति जारी होने के 15 दिवस में प्रस्तुत करनी होगी। बैंक गारंटी प्रस्तुत करते ही ठेकेदार को विज्ञापन शुल्क वसूली हेतु अधिकृति (लाईसेंस) जारी कर दी जावेगी। यह 3/4 राशि की बैंक गारन्टी सम्बन्धित ठेका वर्ष की अंतिम किश्त जमा कराने के 15 दिवस बाद लौटा दी जावेगी किंतु ठेकेदार द्वारा इससे पूर्व 1/4 राशि की बैंक गारन्टी प्रस्तुत करनी होगी जो ठेका समाप्ति दिनांक तक रहेगी।

16.	वर्ष 2013–14 की 1/4 ठेका राशि ठेकेदार द्वारा दि. 01.03.2013 से पूर्व नकद अथवा डी.डी. द्वारा जमा करवाई जावेगी तथा शेष 3/4 ठेका मूल्य ठेकेदार द्वारा तीन समान द्विमासिक किस्तों में (1/4 दि. 31.05.2013 तक 1/4 दि. 31.07.2013 तक तथा 1/4 दि. 30.09.2013 तक) जमा कराया जावेगा। उक्त निर्धारित तिथियों तक राशि जमा नहीं कराने पर बैंक गारंटी से राशि वसूल की जावेगी। द्वितीय वर्ष हेतु बढ़ी हुई राशि सहित शेष 3/4 राशि की नगर निगम जयपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीकृत बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी ठेकेदार द्वारा 31 मार्च 2013 तक प्रस्तुत करनी होगी किंतु इस 3/4 राशि की बैंक गारन्टी में शर्त संख्या 16 में पूर्व में नगर निगम में प्रस्तुत 1/4 राशि की बैंक गारन्टी समायोजित कर ली जावेगी। उक्त अतिरिक्त जमा करायी गई बैंक गारन्टी ठेकेदार को वर्ष 2013–14 के लिए पूर्ण राशि जमा होने पर वापिस कर दी जावेगी। इसके पश्चात् वर्ष 2013–14 हेतु विज्ञापन शुल्क वसूली की अधिकृति (लाईसेंस) ठेकेदार को दी जावेगी। इसी प्रकार वर्ष 2014–15हेतु 1/4 ठेका राशि ठेकेदार द्वारा 31 जनवरी 2014 से पूर्व नगद अथवा डी.डी. द्वारा जमा करवाई जावेगी तथा शेष 3/4 राशि ठेकेदार द्वारा तीन समान द्विमासिक किस्तों में (1/4 दि. 31.05.2014 तक, 1/4 दि. 31.07.2014 तक तथा 1/4 दि. 30.09.2014 तक) जमा कराया जावेगा। तृतीय वर्ष हेतु बढ़ी हुई राशि सहित शेष 3/4 राशि की नगर निगम जयपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीकृत बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी ठेकेदार द्वारा 31 मार्च 2014 तक प्रस्तुत करनी होगी किंतु इस 3/4 राशि की बैंक गारन्टी में शर्त संख्या 16 में पूर्व में नगर निगम में प्रस्तुत 1/4 राशि की बैंक गारन्टी समायोजित कर ली जावेगी। उक्त अतिरिक्त जमा करायी गई बैंक गारन्टी ठेकेदार को वर्ष 2014–15 के लिए पूर्ण राशि जमा होने पर वापिस कर दी जावेगी। इसके पश्चात् वर्ष 2014–15 हेतु विज्ञापन शुल्क वसूली की अधिकृति (लाईसेंस) ठेकेदार को दी जावेगी।
17.	ठेकेदार को ठेका दिया जाते समय निजी/व्यावसायिक भवनों/प्रतिष्ठानों पर किए गए विज्ञापन की शुल्क वसूली नगर निगम जयपुर विज्ञापन उपविधियां 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन)(संशोधन) उपविधियां 2008 के अनुसार अधिकृत दरों पर करनी होंगी परन्तु नगर निगम जयपुर या राज्य सरकार को इसमें किसी भी समय परिवर्तन करने का अधिकार होगा। ऐसे परिवर्तन से इन दरों में जो वृद्धि होगी उसके बढ़े हुए अनुपात में ठेका राशि भी बढ़ाई जावेगी तथा यह बढ़ी हुई ठेका राशि पूर्व अनुमोदित ठेका राशि के अतिरिक्त नगर निगम जयपुर में ठेकेदार को एकमुश्त जमा करानी होगी। यदि नगर निगम जयपुर या राज्य सरकार द्वारा ये दरें घटाई जाती हैं तो ठेका राशि में आनुपातिक कमी की जावेगी।

18.	ठेकेदार को निजी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर पाए गए विज्ञापन उपविधियों के विपरीत लगे हुए विज्ञापनों को हटाने का अधिकार नहीं होगा। विज्ञापन उपविधियों के विपरीत लगे हुए विज्ञापन पाए जाने पर ठेकेदार उनकी सूची तैयार कर प्रति पाक्षिक जोन कार्यालय एवं आयुक्त (राजस्व) के कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। विज्ञापन उपविधियों के विपरीत लगे हुए विज्ञापनों की सूचना शून्य होने पर भी ठेकेदार द्वारा प्रति पाक्षिक जोन आयुक्त एवं आयुक्त (राजस्व) को सूचना देना अनिवार्य होगी। जोन कार्यालय द्वारा उक्त सूची पर विज्ञापन बोर्डों को जब्त करने की कार्यवाही की जाएगी। ठेकेदार के अनुरोध पर ठेकेदार को सहयोग के लिए निगम की ओर से एक राजस्व निरीक्षक/सहायक राजस्व निरीक्षक एवं दो पुलिसकर्मी उपलब्ध कराये जा सकेंगे।
19.	जोन आयुक्त ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत विज्ञापन उपविधियों के विपरीत लगे हुए विज्ञापनों की सूचना पर नियमानुसार कार्यवाही कर पालना आयुक्त (राजस्व) को आगामी सात दिवस में प्रस्तुत करेंगे। जोन कार्यालय अपने स्तर से भी विज्ञापन उपविधियों के विपरीत लगे हुए विज्ञापनों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करेंगे। यदि जोन कार्यालय द्वारा कार्यवाही नहीं की जाती है तो निगम मुख्यालय की आयुक्त (सतर्कता) की टीम जिसमें एक राजस्व निरीक्षक या सहा. राजस्व निरीक्षक जोन की टीम के साथ कार्यवाही करेंगे। निगम मुख्यालय का राजस्व स्टाफ एवं जोन कार्यालय द्वारा उड़न दस्तों का गठन कर विज्ञापन उपविधियों के विपरीत लगे हुए विज्ञापनों के विरूद्ध चालान करने की कार्यवाही की जावेगी। चालानों से प्राप्त आय/राशि नगर निगम जयपुर की होगी।
20.	नगर निगम जयपुर एवं राज्य सरकार द्वारा निजी/व्यावसायिक भवनों/प्रतिष्ठानों पर किए गए विज्ञापन के संबंध में समय–समय पर जारी आदेशों की ठेकेदार द्वारा पालना की जावेगी।
21.	ठेकेदार द्वारा निजी/व्यावसायिक भवनों/प्रतिष्ठानों पर किए गए विज्ञापन से संबंधित शुल्क वसूली हेतु नियमानुसार निर्धारित रसीद बुकें एवं प्रपत्र अपने खर्चे पर छपवाकर नगर निगम के जोन आयुक्त से प्रमाणित करवाने होंगे। इसके उपरान्त ही रसीदों एवं प्रपत्रों का उपयोग किया जा सकेगा। ठेकेदार को इस शर्त के प्रत्येक बार उल्लंघन पर 5000/– रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया जावेगा। ठेका समाप्ति पर खाली रसीद बुकें एवं ठेके से संबंधित समस्त रिकॉर्ड जोन आयुक्त को जमा कराना होगा। जोन आयुक्त का दायित्व होगा कि निर्धारित रसीद बुकें एवं प्रपत्र प्राप्त होने पर 3 दिवस में उन्हे प्रमाणित करें। जोन आयुक्त प्रमाणित करने हेतु राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक या दोनों को अधिकृत कर सकेगा। जोन आयुक्त द्वारा प्रमाणीकरण नहीं करने पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा जोन आयुक्त का स्पष्टीकरण प्राप्त कर आयुक्त (राजस्व), राजस्व अधिकारी (होर्डिंग) को प्रमाणित करने का निर्देश दिया जा सकेगा।

22.	प्रत्येक वसूली की पूरी राशि की रसीद जारी करना अनिवार्य होगा। जयपुर नगर निगम द्वारा अधिकृत दरों के अनुसार ही राशि वसूल की जा सकेगी। अन्य कोई शुल्क, पैनल्टी, सेवाकर या कोई भी राशि की नागरिकों से ठेकेदार द्वारा वसूल नहीं की जावेगी।
23.	करदाताओं को कम से कम असुविधा हो ठेकेदार को इसका पूर्ण ध्यान रखना होगा। ठेकेदार के वसूली हेतु अधिकृत कार्मिकों को नगर निगम जयपुर द्वारा निर्धारित वर्दी पहनना तथा नगर निगम जयपुर द्वारा जारी पहचान पत्र धारण करना अनिवार्य होगा। ठेकेदार एवं उनके अधिकृत कार्मिक शुल्क दाताओं से सौहाद्रपूर्ण एवं सौम्य व्यवहार करेंगे। किसी भी प्रकार की अशांतिकारी एवं अशोभनीय व्यवहार की शिकायत प्राप्त होने पर ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी। तीन से अधिक सत्य शिकायत प्राप्त होने पर ठेकेदार की जमा राशि जप्त कर ठेका समाप्ति की कार्यवाही भी की जा सकेगी।
24.	ठेकेदार यदि चाहे तो स्वयं के खर्चे पर अपने क्षेत्र में एक कार्यालय संचालित कर सकेगा जिसकी अनुमति नगर निगम जयपुर से प्राप्त करनी होगी। ठेकेदार वसूली हेतु स्वयं के खर्चे पर अपने क्षेत्र में कैम्प भी आयोजित कर सकेगा जिसमें नगर निगम के कार्मिक आवश्यकतानुसार उपस्थित हो सकते हैं।
25.	ठेकेदार एवं उनके अधिकृत कर्मचारी द्वारा किसी भी नागरिक से अधिकृत दरों से अधिक वसूली की शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित जोन आयुक्त द्वारा इसकी जांच की जावेगी और शिकायत सही पाई जाने पर वसूल की गई अवैध वसूली की दुगुनी राशि बतौर दण्ड स्वरूप ठेकेदार से वसूल की जावेगी तथा अवैध वसूल की गई राशि नागरिक को ठेकेदार द्वारा अलग से लौटानी होगी।
26.	नगर निगम जयपुर के प्रशासनिक जोन की स्थिति में अनुबंध की तिथि को निर्धारित किया गया ऐरिया नहीं बदलेगा अर्थात अनुबंध के पश्चात जोन कार्यालय का क्षेत्र परिवर्तित होने पर ठेके का क्षेत्र परिवर्तित नही होगा।
27.	ठेकेदार अथवा उसके अधिकृत कर्मचारी द्वारा अवैध वसूली की 3 से अधिक सत्य शिकायतें पाई जाने पर ठेकेदार के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जावेगी जिसके लिए संबंधित जोन आयुक्त प्रकरण तैयार कर मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्रेषित करेंगे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अधिकतम 50,000/– रू. तक पेनल्टी ठेकेदार से वसूल करने का निर्णय लिया जा सकेगा एवं 10 से अधिक सत्य शिकायतें पाये जाने पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा ठेका समाप्ति की अभिषंशा की जा सकेगी।

28.	ठेकेदार अपने अधिकार क्षेत्र में ही विज्ञापन शुल्क की वसूली करेंगे। अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर विज्ञापन शुल्क की अवैध वसूली करने पर ठेकेदार के विरूद्ध प्राप्त शिकायत पर कठोर कार्यवाही की जावेगी।
29.	समय–समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर यथा सेवाकर आदि/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लगाया जाता है तो उसका वहन लाईसेंसी को ही करना होगा एवं नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ऐसे किसी कर/शुल्क की वसूली ठेकेदार द्वारा जनता से नहीं की जावेगी।
30.	ठेकेदार के विरूद्ध कोई भी शिकायत होने पर नागरिक द्वारा संबंधित जोन आयुक्त/आयुक्त (राजस्व) को लिखित शिकायत मय सबूत (यदि कोई हो तो संलग्न कर) पेश करेंगे जिनकी जांच जोन आयुक्त द्वारा 7 दिवस में की जावेगी। नागरिक अपनी शिकायत नगर निगम जयपुर के हैल्प लाईन नं. 0141–2743190 पर भी कार्यालय समय दर्ज करा सकेंगे।
31.	ठेकेदार के अधिकृत कर्मचारी राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित विज्ञापन की दरें, मुख्य मार्गो की सूची राजपत्र में प्रकाशित नगर निगम जयपुर विज्ञापन उपविधियां 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियां 2008 की अधिसूचना की प्रति अपने साथ रखेंगे तथा करदाता द्वारा चाहने पर पुष्टि हेतु वसूलीकर्त्ता द्वारा अवलोकन करवाया जावेगा।
32.	ठेके की शर्तों का उल्लंघन करने पर सुनवाई का अवसर देते हुए ठेकेदार द्वारा जमा कराई गई ठेका राशि जप्त करते हुए ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी जिसमें ठेकेदार का ठेका समाप्ति भी शामिल है। इस संबंध में नगर निगम जयपुर के अधिकृत अधिकारी निरीक्षण कर सकेंगे।
33.	ठेके से संबंधित किसी भी विवाद की स्थिति में आर्बिटेटर द्वारा इसका निस्तारण किया जा सकेगा। आर्बिटेटर प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, स्थानीय निकाय विभाग होंगे।
34.	नगर निगम द्वारा स्वयं के खर्चे पर वसूली की दरों एवं अनुमादित ठेके से संबंधित उपयुक्त जन सूचनाऐं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करायी जाकर आम जनता को सूचित किया जावेगा।

35.	ठेकेदार द्वारा संबंधित जोन कार्यालयों में उपरोक्त शर्त सं. 29 व 31 की सूचनाऐं एवं अधिकृत ठेकेदार का नाम, पता व फोन नं. अंकित करके पठनीय रूप से प्रदर्श करने होंगे।
36.	जिन फर्मों/ठेकेदारों के विरूद्ध नगर निगम जयपुर के किसी ठेके की कोई राशि बकाया चल रही है वे बोलीदाता बकाया राशि नगर निगम जयपुर में जमा कराने के पश्चात् ही बोली में भाग ले सकेंगे। यदि किसी प्रकरण में न्यायालय में वाद विचाराधीन हो तो न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण की बकाया राशि इस शर्त के अधीन न्यायालय के निर्णय तक बकाया नहीं मानी जावेगी। नगर निगम में पूर्व में किसी भी प्रकार की ठेकेदार फर्म द्वारा अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया है तथा इस सम्बन्ध में कोई आदेश जारी किया हो तो वे बोली में भाग नहीं ले सकेंगे।
37.	ठेकेदार द्वारा विज्ञापन शुल्क वसूली के दौरान होने वाली किसी भी घटना के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा इसके लिए नगर निगम जयपुर का कोई दायित्व नहीं होगा । मौके पर किसी भी विवाद/झगड़ा होने पर सम्बन्धित के विरूद्ध पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं कानूनी कार्यवाही ठेकेदार द्वारा ही की जावेगी।
38.	वालपेटिंग/विज्ञापन को पुताई करके मिटाने का अधिकार ठेकेदार का होगा। इस कार्य के लिए ठेकेदार को कोई भुगतान नगर निगम जयपुर द्वारा देय नहीं होगा। समस्त खर्चा ठेकेदार को वहन करना होगा।
39.	शहर में त्यौहार/समारोह पर होने वाली सजावट के लिए किए जाने वाले विज्ञापन प्रदर्श को शुल्क वसूली से मुक्त रखने बाबत् नगर निगम जयपुर/राज्य सरकार के निर्देशों की पालना ठेकेदार को करनी होगी।
40.	किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय श्रवणाधिकार केवल जयपुर शहर ही होगा।
41.	बोलीदाता फर्म/ठेकेदार/साझेदार द्वारा बोली दरे प्रस्तुत की जाती है तो अधिकृत व्यक्ति का पहचान पत्र के रूप में मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट/ड्राईविंग लाईसेंस/आयकर पहचान पत्र आदि की सत्यापित प्रति बोली से पूर्व साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
42.	ठेकेदार द्वारा यदि विज्ञापन बोर्डों का विज्ञापन शुल्क राशि जमा करवाने हेतु सम्बन्धित फर्म/व्यक्ति को "बिल" प्रेषित किया जाता है व सम्बन्धित फर्म/व्यक्ति द्वारा ठेकेदार को राशि जमा नही करवायी जाती है तो सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा सम्बन्धित फर्म/व्यक्ति से कुर्की कार्यवाही से विज्ञापन शुल्क वसूली का लिखित आवेदन पत्र मय सम्बन्धित बोर्ड का विवरण मय फोटोज एवं तामिल हुए बिल की प्रति आयुक्त (राजस्व) को प्रस्तुत करनी होगी। आयुक्त (राजस्व) द्वारा उपयुक्तता की जांच करवाये जाने के बाद, नियमानुसार बिल, मांगपत्र जारी किये जाने के बाद कुर्की के आदेश दिये जायेंगे जिसकी कुर्की सम्बन्धित जोन आयुक्त द्वारा करायी जायेगी।

लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी एवं आयुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर